कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2787 बिलासपुर, दिनांक 01-12-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू–प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Mungeli Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", area – 0.063 ha.-regarding.

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/एल.एम./1835 दिनांक 16.10.2020 व.म.अ. मुंगेली का पत्र क्र./तक./912/दिनांक 10.11.2020

——00——

विषयांतर्गत लेख है कि Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS), द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत BharatNet Phase-II Mungeli Division "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 district across the States", हेतु कुल क्षेत्र 0.063 हे. मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव में वांछित 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 5 में 19.962 हे. गैर वन भूमि प्रभावित दर्शाया गया है। किन्तु इसका विस्तृत विवरण प्रदाय नहीं किया गया हैं।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 पृष्ट क्रमांक 18 में ग्रामवार वन एवं गैर वन क्षेत्र के विवरण का उल्लेख किया गया है।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. लेख है, जबकि वन भूमि का विस्तृत विवरण अनुक्रमांक 5 में 0.063 हे. उललेखित है।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ 44 में वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 3 अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग

		0.206 हे. लिपिकीय त्रुटीवश लेख हो गया था, स्थल निरीक्षण उपरांत 0.063 हे. का संशोधित प्रस्ताव आवेदक संस्थान से प्राप्त कर मय अनुशंसा प्रेषित किया गया है।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 45 में वन अधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के अनुक्रमांक 10 अनुसार आवेदित क्षेत्र इकोलॉजिकल सेन्सेटिव क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधी में है। इसी तरह संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक (17) अनुसार आवेदित क्षेत्र अचानकमार टाईगर रिजर्व के 3.5 से 4.5 कि.मी. की दूरी पर है। कृपया इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का अभिमत प्राप्त कर प्रेषित करें।	भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा पहुंचाने हेतु भुमिगत केबल लाईन बिछाने का कार्य विद्यमान सड़क मार्ग के Right of way के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
4.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 56 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति में आवेदित रकबा 0.206 हे. लेख है, जबकि प्रकरण 0.063 हे. वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु आवेदित वन भूमि की मांग 0.206 हे. के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात प्रकाश में आया कि आवेदित क्षेत्र में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. प्रभावित न होकर गैर वनभूमि प्रभावित हो रही है। कुल आवेदित रकबा 0.206 हे. में से कक्ष क्रमांक 1529 पी.एफ. रकबा 0.143 हे. संरक्षित वन भूमि को विलोपित करते हुए शेष 0.063 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रदाय किया गया था।

संलग्न – वनमण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक./2788 2020/दिनांक 01-12-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वनमण्डलाधिकारी मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली की ओर सूचनार्थ ।
2. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर